न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 55/17 निर्णय दिनांकः 30.10.17

1. बृजलाल पुत्र गिधाराम जाति जाट निवासी हरिनगर चक 2 डी एल तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. बीरबलराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07—01—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री गिरधारी रामावत अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 07—01—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये आवंटन प्रक्रिया व नियमों के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट चक 3 केपीएम का निवासी है। वादगत् भूमि चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/36 में विशेष आवंटन हेतु राजपत्र में विज्ञापित होने के फलस्वरूप वर्ष 2000 में उक्त रकबे को बतौर

विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया तथा 500/— रूपये धरोहर राशि जमा करवा दी गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम वरीयता होते हुए भी अपीलांट के आवेदन पत्र पर गौर किये बिना पन्डिग रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विलल्प में आवंटित करने मे भारी कानूनी भूल की है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि पर मात्र अपीलांट का ही आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर अनआवेदित बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/36 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम के अध्यधीन चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/36 की 25

बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है एवं आवेदक की प्राथमिकता आवांटन नियम 13 (ए) के उपनियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट स्प से अंकित किया है कि अन्य आवेदक को विकल्प में भूमि आवंटन हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/36 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने पर अपीलांट बृजलाल, रेस्पोडेन्ट बीरबलराम, बलदेवसिंह, विमला, हजारीराम एवं मणीदेवी के आवेदन प्राप्त होने पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाकर बीरबलराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 13(ए) के उपनियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की होने पर बीरबलराम को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन का निर्णय लिया गया है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अदालत मातहत द्वारा अपने आवंटन आदेश मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त रकबे के आवंटन हेतु अपीलांट बृजलाल, रेस्पोडेन्ट बीरबलराम, बलदेवसिंह, विमला, हजारीराम एवं मणीदेवी के आवेदन प्राप्त हुए है तथा रेस्पोडेन्ट को उक्त रकबे के आवंटन के साथ ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अंकित किया है कि अन्य आवेदक को विकल्प में भूमि

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर